रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, अक्तूबर 29—नवम्बर 4, 2017, शनिवार/कार्तिक 7—कार्तिक 13, 1939

No. 36] NEW DELHI, OCTOBER 29—NOVEMBER 4, 2017, SATURDAY/KARTIKA 7—KARTIKA 13, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2017

का.नि.आ. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 2011 में,—

(i) फायरमैन पद की अनुसूची में.—

स्तम्भ (10) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी.—

"85% सीधी भर्ती द्वारा और 15% स्तर-1(18000-56900 रु.) के ऐसे बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, और जिनके पास स्तम्भ (7) में विहित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं हों, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा"।

[फा. सं. मासंविनि/76257/अग्नि संवर्ग/आरआरएस/सी/पी/01/1940/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या 68, तारीख 28 अक्तूबर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड-4 में प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, भाग-II , खंड-4, तारीख 17 मई, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 35, तारीख 21 अप्रैल, 2017 द्वारा तत्पश्चात् संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 11th October, 2017

S.R.O. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Fire Service) posts, Recruitment Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development organization Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 2011,—

(i) in the Schedule, relating to the post of Fireman,—

in column (10), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"85% by direct recruitment and 15% by Limited Departmental Competitive Examination from Multi Tasking Staff in Level-1(Rs.18000-56900), who have rendered three years regular service and possessing educational and other qualifications prescribed in column (7), failing which by direct recruitment".

[F. No. DHRD/76257/Fire Cadre/RRs/C/P/01/1940/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II Section-4, vide notification number S.R.O. 68, dated the 28th October, 2011 and subsequently amended vide notification number S.R.O. 35, dated the 21st April, 2017 published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 17th May, 2017.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

का.नि.आ. 86.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड-I पद भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड-I पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड-I पद भर्ती नियम, 2015 में, —